भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1798

जिसका उत्तर 10 दिसंबर, 2025 को दिया जाना है ।

19 अग्रहायण, 1947 (शक)

मृत्यु रिकॉर्ड का अद्यतनीकरण और सत्यापन

1798. श्री एम. के. राघवन:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मृतक के आधार पर दुरुपयोग रोकने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु तथा यूआईडीएआई के बीच मृत्यु रिकॉर्डों को स्वचालित रूप से अद्यतन करने और सत्यापित करने की कोई व्यवस्था मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान मृत्यु के कारण रद्द किए गए आधार कार्ड की संख्या कितनी है तथा परिवार के सदस्यों/निकटतम संबंधियों के अनुरोध पर शुरू किए गए रद्दीकरणों और यूआईडीएआई द्वारा स्वतः शुरू किए गए रद्दीकरणों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां आधार कार्ड की संख्या उस राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की कुल आबादी से ज़्यादा है; और

(ङ) यदि हां, तो यूआईडीएआई द्वारा ऐसे निष्कर्षों के लिए उपयोग किए गए जनसंख्या आंकड़ों के स्रोतों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ङ):** आधार दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली है जिसमें लगभग 134 करोड़ लाइव आधार धारक हैं। आधार डेटाबेस की सटीकता और अखंडता को बढ़ाने के लिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने विभिन्न स्रोतों से आधार संख्या संबंधी मृत्यु रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से प्रतिउपाय किए हैं, जो निम्नानुसार है:

1. भारत के महापंजीयक (आरजीआई) की नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस);
2. गैर-सीआरएस राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त मृत्यु रिकॉर्ड;
3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली डेटाबेस, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम डेटाबेस, बैंक आदि जैसे अन्य स्रोत;
4. यूआईडीएआई पोर्टल- 'मेरा आधार' पर "परिवार के सदस्य संबंधी मृत्यु की रिपोर्टिंग" सेवा के तहत दर्ज किए गए मामले।

फिर इन मृत्यु रिकॉर्ड का आधार डेटाबेस के साथ मिलान और सत्यापन किया जाता है, और आधार अधिनियम और इसके विनियमों के प्रावधानों के अनुसार उचित सत्यापन के बाद संबंधित आधार संख्याओं को निष्क्रिय कर दिया जाता है।

यूआईडीएआई ने आधार संख्या धारकों की मृत्यु के कारण लगभग 2 करोड़ आधार संख्याओं को निष्क्रिय कर दिया है, जिनमें से 453 आधार संख्याओं को मृतक के परिवार के सदस्यों के अनुरोध के आधार पर निष्क्रिय कर दिया गया है।

यूआईडीएआई प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए अनुमानित जनसंख्या और अनुमानित मृत्यु के आंकड़े प्राप्त करने के लिए भारत के महापंजीयक द्वारा प्रकाशित आंकड़ों का उपयोग करता है।

किसी विशेष राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में आधार संख्या की संख्या आधार डेटाबेस में दर्ज आधार धारकों के पते के आधार पर निर्धारित की जाती है।
